

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

दिनांक, 15/9/16

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/ 614
दिनांक :- 4-10-16

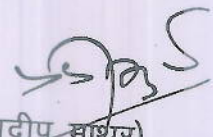
तहसीलदार,
तहसील कार्यालय बानसूर
जिला अलवर

विषय :- स्व0 श्री नेतराम शेर कनिष्ठ लेखाकार को द्वितीय एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्र संख्या 494 दिनांक 07.09.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्व0 श्री नेतराम शेर कनिष्ठ लेखाकार को द्वितीय एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में प्राप्त प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। अतः द्वितीय एसीपी स्वीकृत करने हेतु प्रकरण निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(प्रदीप माथुर)

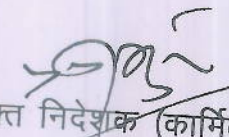
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/पार्ट-III/अलेसे-III/ 614

दिनांक :- 4-10-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उपनिदेशक, एसीपी वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

नित (नियम) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 14 (08) वित्त/नियम/2008-I&II दिनांक 31.12.09 के तहत संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान सम्बन्धी शपथ पत्र

म. पद. कार्यालय एतद् द्वारा शपथ पूर्णक घोषणा करता/करती है कि :-

दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या	जी-	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

2. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

या
दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या है।

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

दिनांक:

हरताशर मेरे सम्मुख किये गये

वर्तमान कार्यालय/स्थान
हरताशर मय मोहर

हरताशर

नाम

पद

मेरिट संख्या

वर्तमान विभाग

दर्भाप नम्बर

संतोषजनक सेवा आदि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद मेरिट संख्या ने उक्त घोषणा पत्र मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं तथा सेवा पुस्तिका एवं उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री ने कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति होने पर दिनांक को पूर्वानु/अपराह्न में कार्यग्रहण किया तथा इनको प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए.सी.पी. दिनांक को देय हो गया है तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं 31.12.2009 के परिपत्र की ध्यान में रखते हुये यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- इनके विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जाँच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है तथा पूर्व में इन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है। (यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
- सेवा पुस्तिका के अनुसार इन्हें ए.सी.पी. देय तिथि से पिछले सप्त वर्षों से नियमित रूप से वेतन वृद्धियाँ मिल रही हैं तथा इनकी सेवाये संतोषजनक है।
- इन्होंने प्रथम पदोन्नति पद पर दिनांक को, द्वितीय पदोन्नति पद पर दिनांक को, तथा तृतीय पदोन्नति पद पर दिनांक को मिली है।
- इनको पदोन्नति प्रथम/द्वितीय/तृतीय ही मिली है।
- इन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय पदोन्नति पर को दिनांक को फोरगो किया है।
- इन्होंने पदोन्नति फोरगो नहीं की है।
- वे पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में वेतन श्रृंखला में पे बैंड में दिनांक से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। (प्रति संलग्न करें)
- इनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर जन्मतिथि है।
- 20 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात् नियुक्त प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) नियम 7 (30 A) ने यदि 90 दिन से अधिक की E.O.L. ली है तो E.O.L. की अवधि दिनांक से तक है।
- कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व समान वेतन श्रृंखला में अन्य सरकारी विभाग में की गई सेवा (यदि कोई हो) का विवरण मय सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति के (स्पष्टीकरण दिनांक 31.12.2009 II (ii)।
- इन्हें प्रथम चयनित वेतनमान निर्देशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत एवं द्वितीय चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी. निर्देशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत की जा चुकी है। (आदेश प्रति संलग्न करें।)

वर्तमान कार्यालय/स्थान
हरताशर मय मोहर